सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की द्वादश (12वीं) बैठक दिनाँक 26 मार्च, 2018 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की द्वादश (12वीं) बैठक दिनाँक 26 मार्च, 2018 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे कुलपति सभाकक्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी :–

1. प्रो0 गया प्रसाद, कुलपति, — अध्यक्ष
2. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक पेंशन एवं कोषागार, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)। — सदस्य
3. श्री सुशील कुमार अग्निहोत्री, संयुक्त निदेशक, कृषि, मेरठ मण्डल, मेरठ।
   (प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि) — सदस्य
4. श्री आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ
   (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि) — सदस्य
5. डा0 बलवीर सिंह,
   (महानिदेशक, उपकार, लखनऊ के प्रतिनिधि) — सदस्य
6. श्री अवध नारायण, वित्त नियन्त्रक — सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

G. Prasad
Vice Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110

प्रस्ताव संख्या 12.1: वित्त समिति की एकादश (11वीं) बैठक दिनाँक 14 अक्टूबर, 2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 14 अक्टूबर, 2017 को सम्पन्न एकादश् बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 12.2: वित्त समिति की एकादश बैठक दिनाँक 14 अक्टूबर, 2017 निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा एकादश् बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2017 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 12.3: वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 12.4: वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय–व्ययक।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुमानित आय–व्ययक पर मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु निम्नवत संस्तुति की गयी।

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Vice Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110

आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2018–19

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	विभिन्न प्राप्तियां एवं व्यय	वास्तविक आंकड़े 2016–17	आय–व्यय क अनुमान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	राजस्व प्राप्तियां	6835.39	13214.21	10911.30	15160.40
2	पूँजीगत प्राप्तियां	2105.27	6760.98	4480.47	4555.18
3	**योग (1+2)**	**8940.66**	**19975.19**	**15391.77**	**19715.58**
4	राजस्व व्यय	6649.85	12731.95	10723.75	14717.35
5	पूँजीगत व्यय	2105.27	6760.98	4480.47	4555.18
6	**योग (4+5)**	**8755.12**	**19492.93**	**15204.22**	**19272.53**

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 12.5ः कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में वैज्ञानिकों/शिक्षको को देय मकान किराया भत्ता में वृद्धि के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या 1/2016/ जी–1–119/दस–2016–226/2008 दिनांक 12 अगस्त, 2016 द्वारा दिये गये निदेर्शों के क्रम में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत शिक्षणैत्तर कार्मिकों को बढ़ी हुई दरों (20 फीसदी वृद्धि) पर मकान किराया का भुगतान किया जा रहा है।

इसी प्रकार उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या–4/2017/596/ सत्तर/2 –2016–16 (109)/2016 दिनांक 04 मई, 2017 द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा पुस्तकालय संवर्ग के कार्मिकों को देय मकान किराया भत्ता की दरों में 20 फीसदी वृद्धि हेतु आदेश जारी किये गये है, जिसको कृषि

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Vice Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110

विश्वविद्यालय, मेरठ में शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू किये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति के सदस्यों द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु ~~निम्नवत~~ संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 12.6: विश्वविद्यालय के विरूद्ध विभिन्न श्रम न्यायालयों में दाखिल याचिका, वाद, श्रम कानूनों से सम्बंधित कार्य, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 से सम्बन्धित नोटिस तथा सलाह आदि कार्यों हेतु योग्य अनुभवी सलाहकार फर्म के माध्यम से कार्य कराने हेतु प्रस्ताव।

अवगत कराना है कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के विभिन्न विभागों, शोध केन्द्रों, कार्यालयों में बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। विभिन्न श्रम न्यायालयों में बाह्य सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों द्वारा वाद दाखिल किये गये है। चूंकि विश्वविद्यालय में श्रम कानूनों तथा अन्य विधिक कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सलाहकार का कोई पद सृजित नही किया गया हैं। इसलिए श्रम कानूनों से सम्बन्धित वादों में विश्वविद्यालय का पक्ष न्यायालयों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दिये गये नोटिस पर विश्वविद्यालय का पक्ष रखने में कठिनाई हो रही है। श्रम तथा सेवा से सम्बन्धित प्रकरणों में विश्वविद्यालय का पक्ष रखने हेतु मैसर्स माथुर मैनेजमेंट कंसलटैण्ट, 229, द्वितीय तल, सिटी सेन्टर, बच्चा पार्क, मेरठ को रू0 15000/– प्रतिमाह सर्विस चार्ज के आधार पर 12 माह हेतु रखे जाने के लिए वित्त समिति के सदस्यों द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

सम्बन्धित फर्म मैसर्स माथुर कंसलटैण्ट द्वारा निम्न कार्य किये जाने प्रस्तावित है:–

1. Handling & efforts for solving all administrating Problems in the field of on roll staffs.

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक

Vice Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110

2. Domestic Enquiries.
3. Internal audit os Statuary Compliances.
4. Record Verification of Business Accociates (Contractors).
5. Periodical audit of contractor's records as to avoid estoppels.
6. Timely information's of amendments in labours laws.
7. Replies of inspection note and notices revieved from labour offices.
8. Pleasing in the matter of P.F. Cases.
9. Pleasing in the matter of labour disputes in DLC office with my term associates.

(कार्रवाईः कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 12.7: विश्वविद्यालय के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में दीवानी/राजस्व/फौजदारी तथा अर्वन सीलिंग (भूमि अर्जन) के कार्यो हेतु रिटेनर रखे जाने हेतु प्रस्ताव।

दीवानी/राजस्व/फौजदारी तथा अर्वन सीलिंग (भूमि अर्जन) के कार्यो हेतु विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश द्वारा विधिक अधिकारी की स्वीकृति प्रदान नही की गयी है। जिससे उक्त प्रकरणों में विश्वविद्यालय का पक्ष, निरेटिव आदि का उत्तर सही प्रकार से न्यायालयों में प्रस्तुत नही किया जा रहा है।

उक्त वादों में सम्बन्धित अभिलेखों तथा विधिक रूप में विश्वविद्यालय का पक्ष रखने हेतु अभिलेख तैयार करना तथा विधिक रूप में विश्वविद्यालय के अभिलेखों सम्बन्धी अधिवक्ता को प्रस्तुत करने हेतु शासनादेश संख्या 1905/07–न्याय –03–16–53/98 दिनांक 04–10–2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार त्यागी, एडवोकेट द्वारा विश्वविद्यालय के दीवानी वादों की ड्राफ्टिंग उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं की निरेटिव दीवानी/राजस्व/फौजदारी तथा अर्वन सीलिंग (भूमि अर्जन) से सम्बन्धित प्रकरणों में विश्वविद्यालय का पक्ष प्रेषित करने तथा विश्वविद्यालय में सम्बन्धित प्रकरणों पर स्थलीय परीक्षण भी करेंगें।

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एव प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Vice Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110

श्री विरेन्द्र कुमार त्यागी, एडवोकेट को 12 माह हेतु रखे जाने के लिए वित्त समिति के सदस्यों द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 12.8: विश्वविद्यालय के पुराने वाहन निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए 03 नये वाहन क्रय किया जाना।

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–3817/30–4–24 के0एम0–76 दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 के अनुसार ''हल्की तथा सामान्य गाडियां जो कम से कम 10 वर्ष चल चुकी हों अथवा उन्होंने 1.75 लाख किमी की दूरी तय कर ली हो, को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा सकता है।''

वित्त समिति के सदस्यों द्वारा उक्त वाहनों को निष्प्रयोज्य होने के उपरान्त पुराने वाहनों के स्थान पर विश्वविद्यालय के कैटेट मद से 03 नये वाहन क्रय करने के प्रस्ताव पर निर्देशित किया गया कि आर0टी0ओ0 कार्यालय से सम्बंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी उपरांत नये वाहन क्रय करने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः प्रभारी अधिकारी, पूल (वाहन)/वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 12.9: कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास किराया मुक्त रखने से सम्बन्धित प्रस्ताव।

कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में हॉस्टल वार्डन एवं सहायक निदेशक फार्म की भांति ही विश्वविद्यालय में कार्यरत इलैक्ट्रीशियन, फार्म अधीक्षक, प्रक्षेत्र सहायक एवं फार्म मैनेजर की आवास किराया

अवध नारायण
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Vice Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110

की कटौती मुक्त करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को वित्त समिति के सदस्यों द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या–12.10 : अन्य बिन्दुः–
मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावः–

(क) : कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के शिक्षक/कर्मचारियों को पेंशन व सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के शिक्षक/कर्मचारियों को पेंशन व सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसपर वित्त समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद में प्रस्तुत करने हेतु सुझाव दिया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक)

(ख) : कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत कार्यक्रम सहायकों (कम्प्यूटर) को ई0डी0पी0 संवर्ग के अनुसार अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत कार्यक्रम सहायकों (कम्प्यूटर) को ई0डी0पी0 संवर्ग के अनुसार अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में कुलसचिव कार्मिक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसपर वित्त समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु सुझाव दिया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक)

अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

Vice Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110

(ग) : विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक/कर्मचारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन तथा महिला शिक्षिकाओं/कृषि विज्ञान केन्द्र की महिला वैज्ञानिक/कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक/कर्मचारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन तथा महिला शिक्षिकाओं/कृषि विज्ञान केन्द्र की महिला वैज्ञानिक/कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश राजकीय कर्मचारियों की भांति लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसपर वित्त समिति के सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक)

अन्त में सचिव वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

26/3/19

(अवध नारायण)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति
अवध नारायण
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

G. Prasad

(प्रो0 गया प्रसाद)
कुलपति/अध्यक्ष
Vice Chancellor
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech
Meerut-250110